कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल–शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

आजाद मोहम्मद रंगरेज, ने एक एस.बी. सिविल याचिका संख्या:–16544 / 2021 राज्य सरकार व अन्य के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पेश की जिसका निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकः–26.11.2021 से करते हुए Respondents को याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश दिये।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने व माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना किये जाने के लिये प्रकरण श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित किया गया।

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा अनुपालना स्वीकृति जारी करने व स्थानीय कार्यालय को अनुपालना स्वीकृति प्राप्त होने पर याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण की कार्यवाही अमल में लाई गई ।

याची ने अपने अभ्यावेदन में इस बाबत उल्लेख किया है कि ''वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में हिन्दी में रामावि0 रामपुरिया नारेली में कार्यरत हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परीक्षा परिणाम रिशफल उपरान्त मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 हिन्दी विषय में हुआ था। जिसकी काउंसलिंग दिनांक 17.03.2021 को हुई।........

काउंसलिंग उपरान्त मुझे अजमेर मण्ड़ल के भीलवाड़ा जिले में राउमावि0 करेड़ा माण्ड़ल आवंटित हुआ। कुछ तकनीकी एवं पारिवारिक कारणों से उस समय 2013 में कार्यग्रहण नहीं कर पाया था। कार्यग्रहण तिथि में विस्तार हेतु मेने आवेदन भी किया पर कार्यग्रहण तिथि में विस्तार नहीं किया गया ना कोई मेरे से पत्राचार किया गया।

याची ने अपने अभ्यावेन में इस बाबत् उल्लेख किया है '' वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में हिन्दी में रामावि0 रामपुरिया नारेली में कार्यरत हूँ। ....साथ ही इस बाबत् भी उल्लेख किया है की वह 2013 की भर्ती के क्रम में जारी नियुक्ति आदेश की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं कर सका।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में याची के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आक्ष्य से मेरे द्वारा आजाद मोहम्मद रंगरेज से संबंधित पत्रावली का मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया याची ने अपने अभ्यावेदन में इस बाबत् उल्लेख किया है कि 2013 भर्ती के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परीक्षा परिणाम रिशफल उपरान्त जारी नियुक्ति आदेश की अनुपालना में याची ने निर्धारित तिथि तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जिसके कारण सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये हैं

चूंकि याची निर्धारित तिथि तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर सका जिसके कारण याची के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ऐसी स्थिति में याची 2013 की भर्ती के तहत परीक्षा परिणाम रिशफल उपरान्त जारी नियुक्ति आदेश के तहत् दिये गये पदस्थापन स्थान पर निर्धारित

तिथि तक कार्यग्रहण नहीं कर सका है। अतः याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। संबंधित पक्ष सूचित हों।

25/4/22
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

क्रमांकः—संयु.निदे./स्कूल शिक्षा/अज/संस्था—4/कोर्ट—केस/2022/2114 दिनांकः—25.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

01. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
02. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा।
03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माण्ड़ल भीलवाड़ा।
04. प्रधानाचार्य एवं पीईईओ.................................. ।
05. प्रधानाध्यापक रामावि0 रामपुरिया नारेली माण्ड़ल भीलवाड़ा।
06. संबंधित श्री आजाद मोहम्मद रंगरेज, व0अ0 हिन्दी।
07. सामान्य—3 कार्यालय हाजा।
08. कार्यालय प्रति।

25/4/22
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग अजमेर

court cases